कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन–भोपाल– 462004

क्र 1008/06/टीएल/आउशि/यो/04 भोपाल, दिनांक 18.11.04

प्रति,

समस्त,
क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमो के जरिये नई रोजगारोन्मुखी गतिविधियाँ एवं प्रदेश के आर्थिक सामाजिक प्रगति के नवीन प्रयास।

––00––

पारंपरिक पद्धति द्वारा दी जाने वाली शिक्षा से सैद्धांतिक ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, परन्तु व्यावसायिक अनुभव के बिना रोजगार हासिल करना अब संभव नहीं है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसी शिक्षा की प्राथमिकता और आवश्यकता है, जो युवाओं को रोजगार प्रदान कर सके।

इस उद्देश्य के साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम तैयार किये गये हैं, जिनकी सूची पत्र के साथ संलग्न है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त महाविद्यालयों में इसे प्रेषित करते हुए प्राचार्यों को निर्देशित करें कि स्थानीय रूप से उपयोगी पाठ्यक्रमों का परीक्षण एवं आकलन करें।

यह उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा जो पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं उन्हें प्रारंभ करने के लिए केवल महाविद्यालयों को निर्देश देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए पर्याप्त प्रचार, प्रसार की योजना बनाई जावे ताकि छात्रों को इसकी विधिवत जानकारी प्राप्त हो सके।

प्रत्येक महाविद्यालय के प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि वह अपने महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को उपयोगी रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रेरित करें तथा छात्रों का पंजीकरण सुनिश्चित करें। पंजीयन एवं काउन्सिलिग का कार्य इग्नू के निकटस्थ अध्ययन केन्द्र में किया जाएगा। इसके लिए अध्ययन केन्द्रों की सूची पत्र के साथ संलग्न है। प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा पंजीकृत छात्रों की सूची इस कार्यालय को तथा क्षेत्रीय निदेशक इग्नू को भी प्रेषित की जाए।

यदि अन्य किसी प्रकार के मार्गदशन की आवश्यकता हो तो इग्नू के निकटस्थ केन्द्रों से संपर्क किया जा सकता है।

<u>शासन द्वारा आदेशित</u>

(एस डी अग्रवाल)
संचालक,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ क्र 1009/आउशि/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/04 भोपाल, दिनांक 18.11.2004

प्रतिलिपि–

1 क्षेत्रीय निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्र ीय मुक्त विश्वविद्यालय, तृतीय तल, सांची काम्प्लेक्स, शिवाजी नगर, भोपाल।

2 प्रमुख सचिव, म प्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निज सहायक की ओर सूचनार्थ।

3 समस्त प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय – कृपया पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं पालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को प्रेषित करें।

(डॉ. राकेश श्रीवास्तव)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

जिलावार इंदिरा गांधी राष्ट्र ीय मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्रों की सूची –

स क्र	इग्नू केन्द्र का पता
1	शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल
2	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
3	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
4	शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर
5	डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
6	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
7	शासकीय स्नातकोत्त ार महाविद्यालय, सतना
8	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
9	शासकीय स्नातकोत्त ार महाविद्यालय, झाबुआ
10	शासकीय स्नातकोत्त ार महाविद्यालय, बैतूल
11	डेनियलसन महाविद्यालय, छिंदवाड़ा
12	शासकीय स्नातकोत्त ार महाविद्यालय, गुना

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन–भोपाल– 462004

क्र 1004/आउशि/1111/यो/04 भोपाल, दिनांक 18/11/2004

प्रति,

समस्त,
क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–पर्यावरण शिक्षा में महाविद्यालयीन शिक्षकों हेतु विशेष पाठ्यक्रम का संचालन।

––00––

महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर पर्यावरण विषयक पाठ्यक्रम संचालित हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किया है, इसके अतिरिक्त पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जन जागृति एवं पर्यावरण का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता का क्षेत्र बन चुका है।

महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को पर्यावरण विषय का अध्यापन कराना होता है। उनके पास सामान्यतः इस विषय की न तो कोई उपाधि होती है और न ही तकनीकी दक्षता। इग्नू ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम पर केन्द्रित एक पाठ्यक्रम तैयार किया है, इस पाठ्यक्रम को पूरा करने पर शिक्षक पर्यावरण विषय के अध्यापन में दक्ष एवं पारंगत होंगे एवं वैधानिक दृष्टि से भी वे इस विषय के अकादमिक कार्य कर सकेंगे।

पाठ्यक्रम इग्नू द्वारा दूरवर्ती पद्धति द्वारा संचालित होगा एवं शिक्षकों को उनकी सुविधानुसार संलग्न सूची में से किसी भी केन्द्र पर पंजीकृत होकर पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। पाठ्यक्रम का विस्तृत विवरण पत्र के साथ संलग्न है। पाठ्यक्रम अवधि में केवल संपर्क कार्यक्रम के लिये (10 दिनों के लिए) अध्ययन केन्द्र पर उपस्थित होना होगा। पाठ्यक्रम का शुल्क स्वयं शिक्षक वहन करेंगे। संपर्क कार्यक्रम की अवधि (10दिन) को कर्तव्य अवकाश माना जाएगा।

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक के साथ प्राचार्यों का भी दायित्व होगा कि ऐसे समस्त शिक्षकों को बारी–बारी से इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए निर्देशित करें।

संलग्न सूची में दर्शाए गए केन्द्रों पर इस पाठ्यक्रम का संचालन होगा। महाविद्यालय के प्राचार्य शिक्षकों की जानकारी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को भेंजेगे एवं क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक अपने स्तर से जानकारी को समेकित कर इस कार्यालय तथा क्षेत्रीय निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, तृतीय तल, सांची काम्प्लेक्स, शिवाजी नगर, भोपाल को भी भेजेंगे।

(एस डी अग्रवाल)
संचालक,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ क्र 1005/आउशि/1111/यो/04 भोपाल, दिनांक 18/11/2004

प्रतिलिपि–

1 क्षेत्रीय निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्र ीय मुक्त विश्वविद्यालय, तृतीय तल, सांची काम्प्लेक्स, शिवाजी नगर, भोपाल।

2 समस्त प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय – कृपया पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं पालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को प्रेषित करें।

(डॉ. राकेश श्रीवास्तव)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन–भोपाल– 462004

क्र 1006/आउशि/912/यो/04 भोपाल, दिनांक 18/11/2004

प्रति,

1 समस्त, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश।

विषयः–महाविद्यालयों की विभिन्न प्रयोगशालाओं में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों/टेक्निशियनों की दक्षता विकास हेतु इग्नू का सीपीएलटी कोर्स.

––00––

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो देश की अग्रणी दूरस्थ शिक्षण संस्था है, ने प्रयोगशाला तकनीशियन/सहायक के दक्षता विकास हेतु सर्टिफिकेट इन लेब टेक्नोलॉजी 6 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

सभी महाविद्यालय अपने यहां कार्यरत प्रयोगशाला टेक्नीशियन/सहायक को प्रशिक्षण हेतु इस कार्यक्रम में प्रवेश दिलवाएं, इस हेतु कार्यक्रम की जानकारी निम्नानुसार हैः–

1. प्रशिक्षण की अवधि 15 दिवस होगी।

2. **प्रशिक्षणार्थियों की संख्या एवं चयन**– ऐसे प्रयोगशाला तकनीशियन जिन्हें अभी सेवा निवृत्ति में न्यूनतम 2 वर्ष या उससे कम का समय शेष है, उन्हें प्रशिक्षण के लिए नामांकित न किया जाए। प्रशिक्षणार्थियों के बेच तैयार करते समय अतिरिक्त संचालकों द्वारा इस बात का ध्यान रखा जावें कि सभी तकनीशियनों को बेचवार प्रशिक्षण प्राप्त हो सकें एवं महाविद्यालय में प्रयोगशाला कार्य भी प्रभावित न हो। कार्यक्रम तैयार कर कार्यक्रम की सूचना सीधे इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय निदेशक भोपाल को देवें।

3. प्रशिक्षण शुल्क एक प्रशिक्षणार्थी पर निम्नानुसार व्यय होना संभावित है :–

अ	प्रशिक्षण शुल्क	रूपये	1900.00
ब	दैनिक भत्ता (अनुमानित)	रूपये	750.00
स	यात्रा भत्ता (अनुमानित)	रूपये	200.00
		रूपये	2850.00

प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति वहन करेंगी।

प्रशिक्षण के दौरान सम्पर्क कक्षाओं में उपस्थिति (15 दिवस) को कर्तव्य पर माना जाएगा। प्रशिक्षण हेतु केन्द्रों की सूची पत्र के साथ संलग्न है, जिनमें से निकटस्थ केन्द्र का चयन करते हुए प्रयोगशाला तकनीशियनों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए। अपने अधिकार क्षेत्र के समस्त महाविद्यालयों को इस प्रशिक्षण के लिए अपने स्तर से निर्देश दिए जाएं।

शासन द्वारा आदेशित

(एस डी अग्रवाल)
संचालक,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ क्र 1007/912/आउशि/यो/04 भोपाल, दिनांक 18/11/2004

प्रतिलिपि–

1 क्षेत्रीय निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्र ीय मुक्त विश्वविद्यालय, तृतीय तल, सांची काम्प्लेक्स, शिवाजी नगर, भोपाल।

2 समस्त प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय – कृपया पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं पालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को प्रेषित करें।

(डॉ. राकेश श्रीवास्तव)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश